न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 300/2024

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र बरयाम उर्फ बरियामचन्द जाति बाजीगर साकिन दड़बा तहसील सिरसा हरियाणा हाल 1 एलजीडब्ल्यू डबली राठान लोगवाला तहसील पीलीबंगा।

– सायल

बनाम्

1. प्याराराम पुत्र बरयाम उर्फ बरियामचन्द जाति बाजीगर साकिन दड़बा तहसील सिरसा हरियाणा हाल 1 एलजीडब्ल्यू डबली राठान लोगवाला तहसील पीलीबंगा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 646/33 के ख0न0 367/2 की 11.1790 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 322/302 की कुल 3.9200 हैक्ट सायल व गैरसायल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी का सींव, डोल व लगान व रास्ता बाबत तनाजात रहता है इसलिए सायल वाद भूमि का खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी भूमि के अनुसार करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि मुश्तरका होने से अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करने पर आमादा है तथा सायल की भूमि उपजाउ होने के कारण अप्रार्थी सायल की भूमि को दिखाकर अजनबी क्रेतागण को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायल सायल की कब्जा काश्त में प्रवेश करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब/उत्तर पत्र इस आशय का पेश किया की वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि मुश्तरका है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी का सींव, डोल व लगान व रास्ता बाबत तनाजात रहता है इसलिए सायल वाद भूमि का खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी भूमि के अनुसार करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि मुश्तरका होने से अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करने पर आमादा है तथा सायल की भूमि उपजाउ होने के कारण अप्रार्थी सायल की भूमि को दिखाकर अजनबी क्रेतागण को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायल सायल की कब्जा काश्त में प्रवेश करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। वाद भूमि मुश्तरका है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 646/33 के ख0न0 367/2 की 11.1790 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 322/302 की कुल 3.9200 हैक्ट सायल व गैरसायल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:16 IST
Reason: SelfAttested